न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर) शिवगंज जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शकुन्तला चौधरी R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
प्रतापसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी पोसालिया तह0 शिवगंज	बनाम	राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री सवाईसिंह सोलंकी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

प्रा. प्रार्थना पत्र संख्या 06/2024

-आदेश:-

दिनांक 18.06.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा पोसालिया पटवार हल्का पोसालिया भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र पोसालिया तहसील शिवगंज की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 नया खाता संख्या 120 के खसरा नंम्बर 1595/964 रकबा 0.5666 व नया खाता सं0 120 खसरा नं0 374, 375 कुल रकबा 1.7078 हैक्टयर भूमि आई हुई है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदारी के दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी के पिता स्व0 भोपालसिंह की मृत्यु के पश्चात बतौर विधिक वारीस के मुझ प्रार्थी व मुझ प्रार्थी के भाई छैलसिंह, मोहनसिंह व बहन उषबकुंवर व पवनकुंवर व माता पंकु कुंवर के नाम से कृषि भूमि दर्ज हुई है जिसमें टंकण गतली से प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हो गया है। तथा मेरा राजस्व रेकर्ड में परबतसिंह पुत्र भोपालसिंह हिस्सा 1/6 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ है जो गलत है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, पेन कार्ड मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में मेरा वास्तविक नाम प्रतापसिंह पुत्र भोपालसिंह है। अतः प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दुरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश कर नाम शुद्धी करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार शिवगंज ने दिनांक 28.05.2024 को जवाब पेश किया जिस पर उभय पक्ष की दिनांक 18.06.2024 को बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में अपने कथनों को पुनः दोहरा कर बताया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम परबतसिंह पुत्र भोपालसिंह सा.देह खातेदार दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सरकारी अथवा गैर-सरकारी सभी दस्तावेजों जैसे-आधार कार्ड वगैरह में प्रार्थी का नाम प्रतापसिंह पुत्र भोपालसिंह है, जो कि सही एवं सत्य है एवं उक्त दोनों नाम का व्यक्ति प्रार्थी एकमात्र स्वयं है। अतः प्रार्थी का नाम प्रतापसिंह पुत्र भोपालसिंह दुरस्त करने का पुनः निवेदन किया गया।

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनने से दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः मौजा पोसालिया पटवार हल्का पोसालिया भू.अ. निरीक्षक क्षैत्र पोसालिया तहसील शिवगंज की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 नया खाता संख्या 192 के खसरा नंम्बर 1595/964 रकबा 0.5666 व नया खाता सं0 120 खसरा नं0 374, 375 कुल रकबा 1.7078 हैक्टयर में दर्ज नाम परबतसिंह पुत्र भोपालसिंह के स्थान पर **प्रतापसिंह पुत्र भोपालसिंह** नाम दुरस्त किये जाने का **आदेश** दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदअनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(शकुन्तला चौधरी R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)

दिनांक 18-06-2024

क्रमांकः-कोर्ट/2024/ 394
प्रतिलिपि पालनार्थः-
तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)